

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

—::— आ दे श —::—


क्रमांक बी/6133 /
पांच-3-12/57 (आवंटन)

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019

निर्देशानुसार शंकर शाह नगर, जबलपुर में स्थित शासकीय आवासगृहों में निवासरत उच्च न्यायालय के समस्त कर्मचारीगण को रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक बी/5573/पांच-3-12/57 (आवंटन), दिनांक 08 नवम्बर, 2019 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि उक्त आदेश के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणापत्र दिनांक 15/11/2019 तक रजिस्ट्री में प्रस्तुत करते हुये अवगत करायें कि जबलपुर नगर निगम सीमा के अर्न्तगत उनके अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर स्वयं का कोई आवासगृह है अथवा नहीं, किन्तु निम्नतालिका में उल्लेखित कर्मचारीगण ने आज दिनांक तक तत्संबंधी घोषणा पत्र रजिस्ट्री में प्रस्तुत नहीं किया है :-

स0क्र0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	शासकीय आवासगृह क्रमांक
1.	श्रीमती रोशनी सिंह पटेल	शीघ्रलेखक	"जी-397"
2.	श्री संजय कुमार भट्ट	सहायक श्रेणी-एक	"जी-409"
3.	कु0 रश्मि चिकाने	निजी सचिव	"जी-410"
4.	श्री रीतेश कोल्हेकर	सहायक श्रेणी-तीन	"एच-04"
5.	श्रीमती प्रीति डेहरीया	सहायक श्रेणी-तीन	"एच-63"
6.	श्री नदीम उल्लाह खान	सहायक श्रेणी-दो	"एच-96"
7.	श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता	सहायक श्रेणी-तीन	"एच-181"
8.	श्री जयप्रकाश काले	सहायक श्रेणी-दो	"एच-105"
9.	श्री कपिल जाम्भोलकर	सहायक श्रेणी-तीन	"एच-453"
10.	श्री रामेन्द्र शुक्ला	सहायक श्रेणी-तीन	"एच-455"
11.	श्रीमती शकुन परस्ते	भृत्य	"आई-484"
12.	श्री राजेश प्रसाद मिश्रा	वाहनचालक	"आई-498"
13.	श्री संतोष तिवारी	जमादार	"एच-157"

अतः उपरोक्त तालिका में उल्लेखित कर्मचारी गण को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक बी/5573/पांच-3-12/57 (आवंटन), दिनांक 08 नवम्बर, 2019 के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणापत्र दिनांक 17.12.2019 तक निश्चित रूप से प्रस्तुत करते हुये अवगत करायें कि जबलपुर नगर निगम सीमा के अर्न्तगत उनके अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर स्वयं का कोई आवासगृह है अथवा नहीं । इसके साथ यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि विहित समयावधि में उपरोक्त कर्मचारीगण के द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब यह मान लिया जावेगा कि उनके नाम से अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम से जबलपुर नगर निगम सीमा के भीतर स्वयं का आवासगृह अवस्थित है।


13.12.19
(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार (कार्य एवं अधोसंरचना)

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर


—::— आ दे श —::—

क्रमांक बी/5573 /
पांच-3-12/57 (आवंटन)

जबलपुर, दिनांक 8 नवम्बर, 2019

निर्देशानुसार शंकर शाह नगर, जबलपुर में स्थित शासकीय आवासगृहों में निवासरत उच्च न्यायालय के समस्त कर्मचारीगण दिनांक 15/11/2019 तक आदेश के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणापत्र प्रस्तुत करते हुये रजिस्ट्री को अवगत कराये कि जबलपुर नगर निगम सीमा के अर्न्तगत उनके अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर स्वयं का कोई आवासगृह है अथवा नहीं ।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार



(सनत कुमार कश्यप)


रजिस्ट्रार (कार्य एवं अधोसंरचना)

पृष्ठां. क्रमांक बी/5574 /
पांच-3-12/57 (आवंटन)

जबलपुर, दिनांक 8 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि :-

- 1/ असिस्टेंट रजिस्ट्रार (स्थापना), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर अविलंब आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 2/ प्रभारी (पेन्शन), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर अविलंब आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 3/ सहायक (सेवापुस्तिका), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर अविलंब आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(सनत कुमार कश्यप)

रजिस्ट्रार (कार्य एवं अधोसंरचना)

घोषणा पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री.....आत्मज/पति.....
.....उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर में पदनाम.....के पद पर
पदस्थ हूँ। मुझे उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक.....दिनांक.....के द्वारा
शंकर शाह नगर, जबलपुर में शासकीय आवासगृह क्रमांक जी/एच/आई (चयनित श्रेणी पर
सही का निशान लगाये) क्रमांक.....आवंटित किया गया है।

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि जबलपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत मेरे
अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम स्वयं का आवासगृह उपलब्ध है /उपलब्ध नहीं
है (चयनित विकल्प पर सही का निशान लगाये)।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अनुभाग का नाम